रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122024-259626
CG-DL-E-26122024-259626

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5117] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 2024/पौष 2, 1946
No. 5117] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 2024/PAUSA 2, 1946

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5532(अ).—जबकि मेसर्स वी ई एच जयिन रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 9वा फ्लोर, माय होम ट्विट्जा प्लाट नो. 30/A, TSIIC, हैदराबाद सिटी रायदुर्ग, हैदराबाद, तेलंगाना- 500081, भारत में स्थित है, ने मध्य प्रदेश के धार जिले में अपनी 151.8MW मात्रा की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना- 196.8MW (151.8 MW पवन ऊर्जा परियोजना + 45MW सौर ऊर्जा परियोजना) की स्थापित क्षमता के साथ हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना के लिए मेसर्स वी ई एच जयिन रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम में शामिल डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के तहत शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने फ़ाइल सं. 25-17/52/2023-पीजी दिनांकित 22.12.2023 के द्वारा मध्य प्रदेश के धार जिले में मेसर्स वी ई एच जयिन रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड के 151.8MW मात्रा की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना- 196.8MW (151.8 MW पवन ऊर्जा परियोजना + 45MW सौर ऊर्जा परियोजना) की स्थापित क्षमता की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम में शामिल डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स वी ई एच जयिन रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी में) दिनांक 13.03.2024 और दैनिक भास्कर (हिंदी में)) दिनांक 13.03.2024, और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक

11.05.2024 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मेसर्स वी ई एच जयिन रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 22.08.2024 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के धार जिले में मेसर्स वी ई एच जयिन रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड की 151.8MW मात्रा की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना- 196.8MW (151.8 MW पवन ऊर्जा परियोजना + 45MW सौर ऊर्जा परियोजना) की स्थापित क्षमता की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डेडिकेटेड शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन हैं:

(i) मेसर्स वी ई एच जयिन रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड (जनरेशन स्विचयार्ड, ग्राम हनुमंत्याकाग, तहसील - सरदारपुर, जिला - धार, मध्य प्रदेश) में स्थित पूलिंग स्टेशन - राजगढ़ (पीजी) तक 220 केवी एस / सी लाइन

उपरोक्त योजना के अंतर्गत शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन मध्य प्रदेश राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गॉवों के नाम	तहसील	जिला	राज्य
धुलेट, अमोदिया, नरसिंह देवला, पासवाड़ा, मोया खेड़ा, हनुमंतिया काग	सरदारपुर	धार	मध्य प्रदेश

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत, मेसर्स वी ई एच जयिन रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं।-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स वी ई एच जयिन रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838 पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी/विशेषज्ञ समिति के निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/42/2024-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 23rd December, 2024

S.O. 5532(E).—Whereas M/s VEH Jayin Renewables Private Limited, having its corporate office at 9th Floor, My Home Twitza, Plot No 30/A, TSIIC Hyderabad Knowledge City, Raidurg, Hyderabad, Telangana-500081 has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for installation of the dedicated overhead transmission line included in the transmission system for providing connectivity to M/s VEH Jayin Renewables Private Limited for the quantum of 151.8MW Hybrid Project with the installed capacity of 196.8MW (151.8 MW Wind Power Project+ 45MW Solar Power Project) in Dhar District, Madhya Pradesh.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its File No. 25-17/52/2023-PG dated 22.12.2023 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for installation of the dedicated overhead transmission line included in the transmission system for providing connectivity to M/s VEH Jayin Renewables Private Limited for the quantum of 151.8MW Hybrid Project with the installed capacity of 196.8MW (151.8 MW Wind Power Project+ 45MW Solar Power Project) in Dhar District, Madhya Pradesh.

M/s VEH Jayin Renewables Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers The Times of Inda (in English) dated 13.03.2024, Dainik Bhaskar (in Hindi) dated 13.03.2024 and in Weekly Gazette of India dated 11.05.2024 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s VEH Jayin Renewables Private Limited has submitted an affidavit dated 22.08.2024 declaring that no observation/representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for installation of the dedicated overhead transmission line included in the transmission system for providing connectivity to M/s VEH Jayin Renewables Private Limited for the quantum of 151.8MW Hybrid Project with the installed capacity of 196.8MW (151.8 MW Wind Power Project+ 45MW Solar Power Project) in Dhar District, Madhya Pradesh. The following overhead transmission line is covered under this scheme:-

(i) VEH Jayin Renewable Pvt. Ltd (Generation Switchyard in Hanumantya Kag Village, Sardarpur Tehsil, Dhar District, Madhya Pradesh) - Rajgarh (PG) 220kV S/C line

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Madhya Pradesh:

Villages	**Tehsil**	**District**	**State**
Dhulet, Amodiya, Narsingh Dewla, Paswada, Moya Kheda, Hanumantiya Kag	Sardarpur	Dhar	Madhya Pradesh

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s VEH Jayin Renewables Private Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s VEH Jayin Renewables Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F.No.25-16/42/2024-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2024.12.26 21:47:58 +05'30'